ग्राम पंचायत भाटी बोहण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग—एक

1. प्रस्तावना (क):—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भाटी बोहण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भाटी बोहण में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्री कपिल देव	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

1	श्री तरसेम सिंह	.01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत भाटी बोहण के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना ।	0.008

2	6	अनुदान का उपयोग न करना	16.93
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	1.40
4	8	रॉयल्टी की वसूली न करना ।	0.36
5	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.93
6	10	अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना ।	0.15
7	11	जी0एस0टी0 के रूप में अधिक भुगतान करना।	0.06
8	12	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में अन्तर पाया जाना	13.37

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2018 से 31.03.2020

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त ।
2	4 व 4.1	अनिर्णीत
3	4.2	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	5	अनिर्णीत ।
5	5.2	अनिर्णीत।
6	5.3	निर्णीत, (विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹ 3400/– की वसूली रसीद संख्या 262902 दिनांक 08.04.2024 द्वारा करने उपरान्त खाता संख्या 20008005648 दिनांक 08.04.24 को

		जमा करवा दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
7	6	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	7	निर्णीत । कार्यवाही देख ली गई है ।
9	8	अनिर्णीत ।
10	9	अनिर्णीत ।
11	10	अनिर्णीत ।
12	11	अनिर्णीत ।
13	12	अनिर्णीत ।
14	13	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत भाटी बोहण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.04.2024 से 16.04.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	08/2022	05/2022
2023–2024	09/2023	09/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):– इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत भाटी बोहण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत भाटी बोहण, विकास खण्ड देहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत भाटी बोहण के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	585584.68	76780.00	26352.00	688716.68	149302.00	539414.68
2023–24	539414.68	32943.00	25413.00	597770.68	236181.00	361589.68

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत भाटी बोहण के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	2072880.86	3500493.00	75942.00	5649315.86	2781027.00	2868288.86
2023–24	2868288.86	1996010.00	52450.00	4916748.86	3224027.00	1692721.86

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, , 5TH SFC, VKVNY, 15th FC, SDP,MPLAD,

A/c No. 50055694139	KCCB Jawalamukhi	34139
A/c No. 20008005648	KCCB Dehra	753149.2

A/c No. 50055694231	KCCB Jawalamukhi			101632
A/c No.50061264686	KCCB Jawalamukhi			11.69
A/C No. 50100339390829	HDFC Dehra	15th FC		712772.3
A/C No. 50055693996	KCCB Jawalamukhi			19459
A/c No. 50062108885	KCCB Jawalamukhi			383814
A/c No 50055693522	KCCB Jawalamukhi			49941
			Cash In Hand	172
		Total		**2055090**

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		361589.7
Cash Book Balance on 31.03.2022		34139
Cash Book Balance on 31.03.2022		391564.6
Cash Book Balance on 31.03.2022		101632
Cash Book Balance on 31.03.2022		712672.3
Cash Book Balance on 31.03.2022		19459
Cash Book Balance on 31.03.2022		383814
Cash Book Balance on 31.03.2022		49441
	Total	**2054312**
	Diffrence	**-778.69**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹779/– का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹778.69 पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 161 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि

रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के शेषों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत की अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 3,61,589/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 163 दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹16.93 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹16,92,722/–की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा विकास के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण

सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹1.40 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 व 34 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें एवं पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व ₹139,575/– (सम्पत्ति कर ₹1,36,030/– व विवाह पंजीकरण शुल्क ₹3,475/–) वसूली हेतु शेष थाः–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	118200	33350	151500	48870	102680
2023–2024	102680	33350	136030	0	136030

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 163 दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹ 1,36,030/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पंचायत राजस्व को बकाया रखने का नियमानुसार तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹3475/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹ 200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसार ₹3475/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि। (₹)
1	07	भारत भूषण पुत्र श्री श्याम लाल	25.07.22	04.08.22	200	0	200
2	08	बबलू पुत्र श्री धर्म चन्द	03.08.22	16.08.22	200	0	200
3	09	राजीव कुमार पुत्र श्री नीरू, बीपीएल	24.10.22	01.11.22	25	0	25

4	10	राजेन्द्र कान्त पुत्र श्री मेलो राम	28.11.22	17.12.22	200	0	200
5	11	नवीन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार	08.12.22	28.12.22	200	0	200
6	12	रसीद कुमार पुत्र श्री जमालदीन	08.12.22	28.12.22	200	0	200
7	13	पंकज कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द	14.12.22	29.12.22	200	0	200
8	14	सचिन पुत्र श्री देस राज	08.03.23	22.03.23	200	0	200
9	01	विशाल पुत्र श्री विजय कुमार, बीपीएल	22.02.23	07.03.23	25	0	25
10	02	रवि दास पुत्र श्री मदन लाल	09.05.23	18.05.23	200	0	200
11	03	श्रमन चौधरी पुत्र श्री खैरती राम	12.05.23	24.05.23	200	0	200
12	04	सोनू पुत्र श्री कमलेश कुमार	10.05.23	25.05.23	200	0	200
13	05	मनोज कुमार पुत्र श्री देस राज	11.05.23	03.06.23	200	0	200
14	06	अभय पुत्र चन्द्रशेखर	02.07.23	10.07.23	200	0	200
15	08	बशीर मुहम्मद पुत्र श्री खुशी मुहम्मद	05.10.23	25.10.23	200	0	200
16	09	रवि कुमार पुत्र प्यार चन्द, बी0पी0एल0	20.10.23	03.11.23	25	0	25
17	10	बुद्धि सिंह पुत्र श्री चुनी लाल	01.11.23	10.11.23	200	0	200
18	11	कुलदीप चन्द पुत्र श्री तिलक राज	09.11.23	16.11.23	200	0	200
19	12	अभिषेक पुत्र श्री लाल चन्द	09.11.23	04.12.23	200	0	200

20	13	संजय कुमार पुत्र श्री तारा चन्द	18.11.23	04.12.23	200	0	200
							3475

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165 दिनांक 16.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. खनन सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.36 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानिः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 36,116/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 166 दिनांक 16.04.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति

में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः **₹36,116/–** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिटिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24	रेत		74.40	1.62	120.52	80	9642.00
	बजरी		73.21	1.52	111.27	80	8902.00
	बोल्डर		57.75	2.24	129.36	80	10349.00
						कुल :	**28893.00**
						पैनल्टी 25 %	7223.00
						कुल योगः	**36116.00**

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.93 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,93,436/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व

आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167 दिनांक 16.04.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार क्रय/व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही व्यय/क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
09, 24.09.22	बिल नं0 345 दि0 16.06.22 शिवम ट्रेडिंग कम्पनी	सरिया	25000.00	नि0 पुली जी0पी0एस0 भाटी SF
पी–1, 15.06.23	बिल नं0 1966 दि0 1.2.23 मै0 पंकल इण्टरप्राईजिज	सरिया	12266.00	नि0 वाटर टैंक PS
04, 15.11.22	बिल नं0 1501 दि0 15.11.22 मै0 माताश्री हार्डवेयर स्टोर	रंग रोगन इत्यादि	16150.00	अपवर्धन पंचायत घर VKVNY
पी–9, 06.03.24	बिल नं0 362, 27.10.23 361 दि0 27.10.23 मै0 कर्म हार्डवेयर स्टोर	टाईलें	62210.00	नि0 शैड पंचायत घर VKVNY
37, 28.09.23	बिल नं0 36,35,34,33,31 दि0 20.09.23 मै0 मिन्टू बैल्डिंग शॉप	चदर, जाला, पाईपें इत्यादि	42778.00	नि0 शैड पंचायत घर 15th FC
68 27.01.24	बिल नं0 616 दि0 25.01.24 शिवम ट्रेडिंग कम्पनी	सरिया	35032.00	नि0 पुली रत्न चन्द 15th FC
			193436.00	

10. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों से ₹0.15 लाख के अधिक भुगतान बारे ।

वर्ष 2022–23 में आमन्त्रित निविदाओं की जॉंच में पाया कि पंचायत में निर्माण सामग्री हेतु प्रस्ताव संख्याः 05 दिनांक 28.04.2022 को न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 धनोटिया एण्टरप्राईजिज की दरें अनुमोदित की गई थीं। अनुमोदित दरों में रेत 1597/–

प्रतिघन मीटर, बजरी ₹1497/– प्रतिघन मीटर की दर से अनुमोदित की गई थी। लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को अनुमोदित दरों से अधिक दर से भुगतान कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 168 दिनांक 16.04.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अधिक भुगतान ₹ 14758/– की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाये :–

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि	अनुमोदित दरों अनुसार भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	कार्य का नाम
08, 22.02.23	508, दि0 शून्य	बजरी $23m^3$	$23m^3$ @ 1755/- = 40365/-	$23m^3$ @ 1497/- = 34431/-	5934.00	नि0 एम्बुलैंस रोड अरविन्द के घर से नाला VKVNY
09, 22.02.23	507, दि0 शून्य	श्रेत $12m^3$	$12m^3$ @ 1995/- = 23940/-	$12m^3$ @ 1597/- = 19164/-	4776.00	नि0 एम्बुलैंस रोड अरविन्द के घर से नाला VKVNY
10, 22.02.23	509, दि0 शून्य	बजरी $16m^3$	$16m^3$ @ 1750/- = 28000/-	$16m^3$ @ 1497/- = 23952/-	4048.00	नि0 एम्बुलैंस रोड अरविन्द के घर से नाला VKVNY
					14758.00	

11. निर्माण सामग्री के क्रय में जी0एस0टी0 के रूप में ₹ 0.06 लाख अधिक भुगतान बारे

वर्ष 2022–23 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में प्रस्ताव संख्याः 05 दिनांक 08.05.2023 द्वारा ईंट, रेत बजरी के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 घनोटिया इण्टरप्राईजिज की दरें अनुमोदित की गई थीं। निविदा में सामग्री की दरों के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अलग से लेने की कोई शर्त भी नहीं थी । अर्थात निविदा में दरें जी0एस0टी0 सहित भरी गई थीं, लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि

निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169 दिनांक 16.04. 2024 द्वारा जिस बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि जी0एस0टी0 के रूप में अधिक किये भुगतान की वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	कार्य का नाम
27, 26.08.23	359, 26.08.23	रेत बजरी	13109.00	12485	624.00	नि0 रास्ता राजीव कुमार घर से ओवर हैड 15th FC
28 26.08.23	360, 25.08.23	रेत बजरी	19087.00	18179.00	908.00	नि0 संजीव कुमार घर 15th FC
35, 31.10.23	291, 25.09.23	सोलिंग	26904.00	25624.00	1280.00	नि0 रास्ता अर्जुन लाहड से पुली 15th FC
08, 06.03.24	377, 10.03.24	रेत बजरी	43671.00	41593.00	2078.00	नि0 लिंक रोड अर्जुन लाहड से पुली VKVNY
08, 06.03.24	383, 10.03.24	रेत बजरी	20077.00	19121.00	956.00	नि0 लिंक रोड अर्जुन लाहड से पुली VKVNY
					5846.00	

12. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में ₹ 0.13 लाख की राशि का अन्तर पाया जानाः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के

क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹1336549.88 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	3390861.88
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2054312.00
अन्तर	₹	1336549.88

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170 दिनांक 16.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है । उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0 सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3085 – 3089 / फा0 / 50 02 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)288/2021–खण्ड–1 दिनॉंक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारीं, विकास खण्ड देहरा, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भाटी बोहण, विकास खण्ड देहरा, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

फा0/50

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhatti Bohan" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	65868	55513	959	122340	42000	80340
2	5 SFC	287411.56	367890	0	655301.56	259300	396001.6
3	VKVNY	165182	614678	8743	788603	578630	209973
5	15TH FC	1457510.3	1294660	61827	2813997.3	791581	2022416
7	Gramin Hut	18361	0	524	18885	0	18885
9	SDP	31898	232775	2558	267231	174539	92692
11	MPLAD	46650	0	1331	47981	0	47981
13	MNREGA	0	934977	0	934977	934977	0
	Total Rs.	2072880.86	3500493	75942	5649315.86	2781027	2868289

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhatti Bohan" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	80340	0	1435	81775	47636	34139
2	5 SFC	396001.56	216263	0	612264.56	220700	391564.6
3	VKVNY	209973	340000	2797	552770	451138	101632
5	15TH FC	2022416.3	154652	42855	2219923.3	1507251	712672.3
7	Gramin Hut	18885	0	574	19459	0	19459
9	SDP	92692	480000	3329	576021	192207	383814
11	MPLAD	47981	0	1460	49441	0	49441
13	MNREGA	0	805095	0	805095	805095	0
	Total Rs.	2868288.86	1996010	52450	4916748.86	3224027	1692722

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, ,5TH SFC,VKVNY, ,15th FC, SDP,MPLAD,

A/c No. 50055694139	KCCB Jawalamukhi		34139
A/c No. 20008005648	KCCB Dehra		753149.2
A/c No. 50055694231	KCCB Jawalamukhi		101632
A/c No.50061264686	KCCB Jawalamukhi		11.69
A/C No. 50100339390829	HDFC Dehra	15th FC	712772.3
A/C No. 50055693996	KCCB Jawalamukhi		19459
A/c No. 50062108885	KCCB Jawalamukhi		383814
A/c No 50055693522	KCCB Jawalamukhi		49941
cash in hand			172
		Total	2055090

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	361589.7
Cash Book Balance on 31.03.2022	34139
Cash Book Balance on 31.03.2022	391564.6
Cash Book Balance on 31.03.2022	101632
Cash Book Balance on 31.03.2022	712672.3
Cash Book Balance on 31.03.2022	19459
Cash Book Balance on 31.03.2022	383814
Cash Book Balance on 31.03.2022	49441
Total	2054312
diffrence	-778.69

Checked

Secretary
Gram Panchayat............Bhatti Bohan
Dev. Block Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

Financial Position of Own sources in r/o GP Bhatti Bohan

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	585584.68	76780	26352	688716.68	149302	539414.68
2023-24	539414.68	32943	25413	597770.68	236181	361589.68

Checked

Secretary
Gram Panchayat............Bhatti Bohan
Dev. Block Dehra, Distt. Kangra H.P.)

परिशिष्ट–2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Bhatti Bohan **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	118200	33350	151500	48870	102680
2023-24	102680	33350	136030	0	136030
	No. of family 667 @ 50/- Per Annum				

Secretary
Gram Panchayat..............
Dev. Block Dehra, Distt. Kangra H.P.)

"परिशिष्ट-3"
(अतिरिक्त प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के संदर्भ में)

Name of gram panchayatBhatti bohan dev. Block Dehra Gopipur distt kangra H.P

2022-2023

sr. no.	name of work	head	vendor name	voucher no and date	bill no	bill date	sand	bajri	boulder	bricks no.	amount
1	नि रास्ता रत्नी देवी के घर से सरकारी गोहर तक	मनरेगा	Sood transport	10 21/05/2022	4	1/4/2021	7 cum	7 cum	4	0	27300
2	नि पुली gms खौला	मनरेगा	Dhanotia Ent	18 21/05/2022	304	12/5/2021	15 cum	12 cum	4 cum	0	37527
3	नि रास्ता सुरेश कुमार के घर से बिट्टू के घर तक	मनरेगा	Sood transport	19 21/05/2022	1	16/05/2021	4 cum	5 cum	0	0	12100
4	नि रास्ता सुरेश कुमार के घर से बिट्टू के घर तक	मनरेगा	Sood transport	20 21/05/2022	2	1/5/2021	0	20 cum	0	0	26000
5	नि रास्ता सुरेश कुमार के घर से बिट्टू के घर तक	मनरेगा	Sood transport	22 21/05/2022	3	12/4/2021	16 cum	0	40 cum	0	46500
6	नि वाटर टैंक संतोष कुमारी गाव खौला	मनरेगा	Dhanotia Ent	26 21/05/2022	308	2/2/2022	6 cum	8 cum	4 cum	0	20786
7	नि वाटर टैंक चन्दरशेखर गाव भाटी	मनरेगा	Dhanotia Ent	28 21/05/2022	309	18/12/2021	6 cum	8 cum	4 cum	0	20786
8	नि नाली अशोक कुमार के घर से NH तक	15 FC	Shiv Trading	4 31/03/2023	263	20/05/2022	4 cum	6 cum	0	0	18510
						Total	58	66	56	0	209509

Name of gram panchayatBhatti bohan dev. Block Dehra Gopipur distt kangra H.P

2023-24

sr. no.	name of work	head	vendor name	voucher no and date	bill no	bill date	sand	bajri	boulder	bricks no.	amount
1	नि एम्बुलेस रोड छोटू के घर से लेकर NH 88 तक	मनरेगा	Dhanotia Ent	44 04/09/2024	342	1/10/2022	15 cum	5 cum			31440
2	नि नाली भाटी	15 FC	Dhanotia Ent	34/30/10/2023	373	28/10/2023	1.4 cum	2.21 cum	1.75 cum		1400
						Total	16.4	7.21	1.75		32840

Secretary
Gram Panchayat.........
Dev. Block Dehra, Distt. Kangra H.P.)